छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 65/2006</u>

श्री टी. के. घोषाल,
डी–8, सेक्टर–4, देवेन्द्र नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
   नगर पालिक निगम, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. श्री आशीष मिश्रा,
   तत्कालीन जन सूचना अधिकारी,
   नगर पालिक निगम, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. श्री एम. के. गुप्ता,
   नगर निवेशक,
   नगर पालिक निगम, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::

(दिनांक 08 फरवरी 2007)

श्री टी. के. घोषाल के द्वारा दिनांक 31–05–2006 को छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कि लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के द्वारा दिनांक 11–05–2006 को पारित किये गये आदेश का क्रियान्वयन एवं पालन नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा नहीं किया गया। दिनांक 11–05–2006 को आयोग के द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा लंबित प्रथम अपील का शीघ्र निराकरण किया जावे तथा जानकारी के लिए अतिरिक्त रूप से ली गई राशि 4.00 रुपए उन्हें 15 दिनों में वापस की जावे। साथ ही 15 दिनों के अंदर नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा शेष तीन बिन्दुओं की जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण से लेकर अपीलार्थी को निःशुल्क दी जावे।

2/ अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया कि दिनांक 24–05–2006 को नगर निवेशक, नगर पालिक निगम के द्वारा प्रेषित पत्र उसे प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार उससे 12/– रुपये की राशि 6 पृष्ठों के अभिलेख शुल्क के रूप में मांगी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 25–05–2006 को आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया कि आयोग के निर्देशानुसार उसे निःशुल्क जानकारी दी जाना है, किन्तु अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने आयोग के आदेश का पालन नहीं करने के कारण जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम एवं नगर निवेशक के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना की।

3/ आयोग के द्वारा नगर पालिक निगम, रायपुर से प्रतिवेदन मांगा गया तथा जन सूचना अधिकारी को जानकारी आयोग के निर्देशानुसार उपलब्ध न कराने के फलस्वरूप 10,000/– रुपये की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

4/ जन सूचना अधिकारी श्री लोकेश्वर साहू के द्वारा बतलाया गया कि प्रकरण तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री आशीष मिश्रा के कार्यकाल का है, अतः आयोग के द्वारा श्री आशीष मिश्रा को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी को समस्त संबंधित अभिलेखों का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे, अभिलेखों को ढूँढा जावे या पुनर्निर्माण कराया जाकर 15 दिन के अन्दर अपीलार्थी को प्रतिलिपि प्रदान की जावे। दिनांक 30–08–2006 को जन सूचना अधिकारी श्री लोकेश्वर साहू के द्वारा बतलाया गया कि प्रयास करने पर भी तथा रायपुर विकास प्राधिकरण से मांग करने पर भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। आयोग के द्वारा वर्तमान जन सूचना अधिकारी तथा नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, रायपुर को प्रत्येक को 10,000/– रुपये की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे का कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। श्री एम.के.गुप्ता, नगर निवेशक के द्वारा तथा वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिया गया। दिनांक 15–01–2007 को श्री आशीष मिश्रा, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया गया।

5/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों तथा मौखिक रूप से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा मूल रूप से 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी, 02 बिन्दुओं की जानकारी उसे दिनांक 28–12–2005 को दी गई थी, शेष 03 बिन्दु – आवास गृह डी–7, सेक्टर–4, देवेन्द्र नगर, रायपुर के आवास का पूर्णता प्रमाण–पत्र, मकान के आधिपत्य प्रमाण–पत्र (Occupancy Permit) जो कि नगर पालिक निगम के द्वारा जारी किया गया, मकान निर्माण के समय नगर पालिक निगम के समक्ष प्राधिकारी के द्वारा किये गये निरीक्षण एवं निर्माण के पश्चात् किये गये निरीक्षण की प्रति मांगी थी। सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि आयोग के निर्देशानुसार अपील की सुनवाई में दिनांक 03–03–2006 तथा दिनांक 07–03–2006 को अपीलार्थी सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहा। दिनांक 24–05–2006 को 03 बिन्दुओं की जानकारी अपीलार्थी को दी गई, जिसमें उल्लेख किया गया उक्त तीनों बिन्दुओं की जानकारी नगर पालिक निगम में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी ने उल्लेख किया कि यदि जानकारी उपलब्ध नहीं थी तो उससे 12/– रुपये का शुल्क कौन–सी जानकारी के लिए मांगा गया था। नगर निवेशक श्री गुप्ता के द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया कि भवन निर्माण अवज्ञा से संबंधित दस्तावेज रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में है, नगर पालिक निगम को हस्तांतरित नहीं किये गये हैं। अपीलार्थी को अभिलेख निःशुल्क निरीक्षण कराने हेतु जोन कार्यालय क्रमांक–2 को निर्देशित किया गया, क्योंकि दस्तावेज जोन कार्यालय में उपलब्ध थे। दिनांक 11–09–2006 को जानकारी उपलब्ध कराई गई। किन्तु आवेदक के द्वारा जो जानकारी चाही गई थी वह उसे प्राप्त नहीं हुई। केवल भवन निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार न किये जाने के लिए अपीलार्थी के द्वारा आयोग को अपील करने के पश्चात् जारी किये गये सूचना–पत्र की प्रतिलिपि ही उसे दी गई। नगर निवेशक श्री गुप्ता के द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के जवाब में बतलाया गया कि उसके द्वारा जानकारी दिये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जानकारी ढूंढने का प्रयास किया गया तथा जो भी वास्तविक स्थिति थी, उससे अपीलार्थी को अवगत कराया गया। श्री आशीष मिश्रा, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि उसके द्वारा

आयोग के आदेश दिनांक 11—05—2006 के अनुसार अतिरिक्त जमा शुल्क 4/— रुपये की राशि वापिस की गई। दिनांक 18—09—2006 के पश्चात् वह जन सूचना अधिकारी के कार्य से मुक्त हो गया था। उन्होंने बहस में यह भी बतलाया कि प्रकरण भवन अवज्ञा शाखा, नगर निवेशक से संबंधित है, उनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई वह सूचना अधिकारी के रूप में अपीलार्थी को सूचित की गई।

6/ प्रकरण से स्पष्ट है कि आयोग के द्वारा नगर पालिक निगम, रायपुर जन सूचना अधिकारी को सूचित किया गया था कि 03 बिन्दुओं से संबंधित जानकारी ढूंढकर अपीलार्थी को प्रदान की जावे। यदि जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से जानकारी लेकर अपीलार्थी को दी जावे। जन सूचना अधिकारी ने सूचित किया कि नगर निवेशक से जानकारी प्राप्त नहीं हुई तथा खोजने का प्रयास करने पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। अतः अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं होने की सूचना दी गई। भवन अवज्ञा से संबंधित निरीक्षण एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र की जानकारी नगर पालिक निगम में वैधानिक रूप से होना चाहिये। जानकारी नहीं होने का यही तात्पर्य माना जावेगा कि पूर्णता का प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया तथा निरीक्षण नहीं किये गये। अतः आयुक्त नगर पालिक निगम को यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में पुनः अभिलेखों की खोज कराई जावे और यदि वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं होते हैं तो इसके लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। यदि खोजने पर जानकारी प्राप्त हो जाती है तो अपीलार्थी को जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे। नगर निवेशक श्री एम. के. गुप्ता के द्वारा अपीलार्थी को बिना पूर्ण तथ्यों की जानकारी लिये 12/— रुपये अभिलेख शुल्क जमा करने का सूचना—पत्र जारी किया गया, जबकि अभिलेख उपलब्ध नहीं था, साथ ही उनके द्वारा आयोग को भी अपने जवाब में भ्रमात्मक स्थिति बताई गई, अतः यह माना जाता है कि उनके द्वारा सही जानकारी देने का उत्तरदायित्व निर्वहन नहीं किया गया। अतः उन्हें 5,000/— रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। वर्तमान जन सूचना अधिकारी श्री लोकेश्वर साहू एवं तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री आशीष मिश्रा के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने में विलम्ब होने अथवा भ्रमात्मक जानकारी दिये जाने के लिए उत्तरदायित्व सिद्ध नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

7/ अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को जानकारी समय पर प्राप्त न होने के कारण उसे हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 500/— रुपये की क्षतिपूर्ति नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक प्रति आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को प्रेषित की जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त